Statement

Details of Communal Riots in Tamil Nadu during July, 1996 to July, 1998

Sl. No.	Date and Place of incident	No. of persons killed	No. of persons injured	Property lost
1.	Jan. 28 & Feb. 3, 1997 Coimbatore, Dindigai, Ramnad, Thanjavur, Kanyakumari and Chengai Anna.	9	21	Rs. 29,35,000/-
2.	August 11 and 27, 1997 Vill. Melapalayam Tirunelveli	4	5	NIL
3.	Sept. 1-2, 1997 Coimbatore	5	9	NIL
4.	November 29-Dec. 3 1997, Coimbatore	26	46	Hon'ble Justice Thiru P.R. Gokulakrishnan Commission of Inquiry has been appointed to assess loss/damage of properties.

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान पेंशन के लम्बित मामले

1606. **श्री रामजीलाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1982 तक और तत्पश्चात स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के लम्बित मामलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मामलों को शीघ्रता से निपटाने की दृष्टि से एक लेखा परीक्षा दल (एस॰एट्री॰) का गठन किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु होने के पश्चात् उनकी विधवा/विधुर को यदि उसके पास दिल्ली में सामान्य पूल से आवासीय सुविधा उपलब्ध है, केवल छः महीने के लिये ही रहने की अनुमति दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मामलों में उनकी विधवाओं/विधुरों को भी जीवन भर के लिये आवास सुविधा उपलब्ध कराएगी?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) इस समय केवल 52 नए मामले लंबित हैं। ऐसे मामलों, जोकि विगत में एक बार या अधिक बार रद्द किए जा चुके हैं के संबंध में 2,819 पुनरीक्षण आवेदन भी लंबित हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) जी हां, श्रीमान्। स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी/पति को आवंटी की मृत्यु के पश्चात् केवल छः माह की अवधि के लिए सरकारी आवास रखने की अनुमति है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

महिला कैदियों के लिये मूलभूत सुविधाएं

1607. **श्री नरेंद्र मोहन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जनवरी, 1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उन महिलाओं, जिन्हें किसी कारण से जेलों में रहना पड़ता है, की दशा से संबंधित समाचार की समीक्षा की ओर दिलाया गया है; यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) देश की सभी जेलों में कैदियों की कुल संख्या कितनी है और इनमें महिला कैदियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या यह सच है कि देश में जेल स्वयं ही यातना केंद्र है और उनमें कैदियों की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां श्रीमान।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.6.1998 की स्थिति के अनुसार, देश की विभिन्न जेलों में 2,56,559 कैदी थे, जिनमें से 7,750 महिला कैदी थी।

(ग) केन्द्र सरकार जेलों में कैदियों की भीड़-भाड़ की समस्या से परिचित है, जोकि मुख्य रूप से विचारणाधीन कैदियों की ज्यादा संख्या में मौजूदगी के कारण है। कैदियों की भीड़-भाड़ से न केवल मूलभूत ढांचे पर अधिक भार पड़ता है बल्कि जेल संवासियों के बीच अनुशासन बनाए रखने में भी समस्याएं पैदा होती हैं।

संविधान के अनुसार "जेल" राज्य का विषय है। अत: जेल प्रबंधन मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तथापि, केन्द्र सरकार वित्त आयोग के पंचटों और जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की केन्द्रीय योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को उनके जेल संबंधी मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान करती रही है। राज्य सरकारों के साथ बातचीत के दौरान, केन्द्र सरकार मामलों की शीघ्रता से जांच करने की आवश्यकता पर भी जोर देती रही है।

Maintenance for Separated Wives Under Cr. PC

1608. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Sec. 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 restricts maintenance to Rs. 500/- per month, per person in case of a divorce suit;

(b) if so, whether Rs. 500/- is enough for a separated wife to survive; and

(c) if not, the steps proposed for early change of such antiquated laws which failed to bring hope to people's lives?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) Yes, Sir. In view of the depreciation of the value of money, a Bill to amend inter alia Section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 has been introduced in the Rajya Sabha on May 9, 1994 with a view to enhancing the maximum limit for payment of maintenance allowance from Rs. 500/- p.m. to Rs. 1,500/- p.m.

विदेशी पर्यटकों द्वारा किये गये तथा उनके प्रति अपराध

1609. **श्री ओंकर सिंह लखावत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों के प्रति लूटपाट और अन्य अपराधों की कितनी घटनाएं हुई; और

(ख) उसी अवधि के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों द्वारा किए गए अपराधों की कितनी घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, अपराध दर्ज करना, उसकी जांच पड़ताल करना, उसका पता लगाना और रोकथाम करना अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। विदेशी पर्यटकों द्वारा किए गए या उनके साथ हुई अपराध की घटनाओं के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

ISI bases in Tamil Nadu and West Bengal

1610. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Tamil Nadu and West Bengal are fast becoming the operational bases for the ISI and other subversive agencies and the unchecked trans-border illegal migration from Bangladesh has become a convenient means of smuggling-in ISI operatives; and

(b) if so, the steps taken to check this menace?

THE MINISTER OF HOME AFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) While it is not correct to say that Tamil Nadu and West Bengal are fast becoming the operational bases for ISI and other subversive agencies, there is no let up in the Pak design to destablise the country by aiding and abetting activities of various terrorists/militant organisations in the country.

(b) Government is aware of the sinister designs of ISI of Pakistan to destablise India by sponsoring terrorism and subversive activities in different parts of the country.